मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 (4 फाल्गुन, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 143 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 130 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

प्रश्नकाल के दौरान श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिकांश सदस्यगण द्वारा प्रश्न संख्या 6 के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

3. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य ने मनावर विधानसभा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का निर्माण किये जाने,

(2) श्री मधु भगत, सदस्य ने बालाघाट विकासखण्ड अन्तर्गत सातनारी जलाशय सिंचाई परियोजना वन विभाग की अनुमति न मिल पाने के कारण कार्य पूर्ण न होने,

(3) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य ने सिवनी विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों की जर्जर स्थिति होने,

(4) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य ने तहसील बैराड़ में शासकीय स्नातक महाविद्यालय की स्थापना की जाने,

(5) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य ने रायसेन स्थित विभिन्न ग्रामों में लघु सिंचाई योजना अंतर्गत निर्मित नहरों का निर्माण गुणवत्ता विहीन होने,

(6) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य ने मुरैना जिले में निर्माणधीन सिक्स लेन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में प्रभावितों को चार गुना मुआवजा दिये जाने,

(7) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे, सदस्य ने खण्डवा अंतर्गत सुरगांव नेपानी सहित अन्य गावों को जावर माइक्रों सिंचाई योजना में शामिल किये जाने,

(8) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य ने वि.स. क्षेत्र बालाघाट अंतर्गत लालबर्रा, जाम, मोहगांव में डॉक्टर, फार्मासिस्ट की भर्ती की जाने,

(9) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने रतलाम जिले में आपदा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था न होने एवं

(10) श्री भगवान दास सबनानी, सदस्य ने भोपाल विधानसभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम वार्ड 24 अंतर्गत प्रोफेसर कॉलोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण कराये जाने।।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **डॉ.कुंवर विजय शाह, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन मंत्री** ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2024-2025 पटल पर रखे.

(2) **श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री** ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2023-2024 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पिणयां) पटल पर रखी.

(3) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, खनिज साधन मंत्री (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** ने जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला-भोपाल, शहडोल, छतरपुर, शाजापुर, दतिया एवं नर्मदापुरम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 तथा जिला-नर्मदापुरम, अनूपपुर, दमोह, पन्ना, धार एवं उमरिया का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखे.

(4) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** ने

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(i) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,

(ii) रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025,

(iii) क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025,

(iv) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025,

(v) क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगौन (म.प्र.) का प्रथम वार्षिक पालन प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025,

(vi) पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 एवं

(vii) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 तथा

(ख) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 36 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025,

(ग) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 तथा

(घ) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखे.

(5) **श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी** ने मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र) का वार्षिक लेखा विवरण वित्तीय वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा.

5. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि - "विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परन्तु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

6. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य** ने खुरई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय महाविद्यालय खुरई में रिक्त पदों की पूर्ति, स्टेडियम निर्माण एवं बी.एड., विधि संकाय के नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **श्रीमती सेना महेश पटेल सदस्य** ने गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल में एम.बी.बी.एस. छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री राजन मण्डलोई, सदस्य तथा श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में भाग लिया.

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

(3) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य** ने पन्ना विधान सभा अन्तर्गत छत्रशाल महाविद्यालय अजयगढ़ एवं खोरा महाविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ की पद पूर्ति, स्नातकोत्तर की कक्षाएं तथा शासकीय विधि महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(4) **श्री भैरो सिंह बापू, सदस्य** ने प्रदेश के अनेक जिलों में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का का ध्यान आकर्षित किया. श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री हरदीप सिंह डंग, श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू, डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान, श्री ओमप्रकाश सखलेचा, डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय एवं श्री ऋषि अग्रवाल ने भी चर्चा में भाग लिया.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

7. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होना

ध्यानाकर्षण के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में है, सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण कर सकते है.''

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)
(2) श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-सिवनी)
(3) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(4) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके (जिला-बैतूल)
(5) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(6) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(7) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(8) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(9) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिंदवाड़ा)
(10) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(11) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(12) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-भोपाल)
(13) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(14) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(15) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)
(16) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(17) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर)
(18) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-छतरपुर)
(19) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
(20) श्री श्याम बरडे (जिला-बड़वानी)
(21) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(22) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
(23) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(24) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(25) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(26) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
(27) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(28) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(29) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(30) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(31) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(32) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-शहडोल)
(33) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(34) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(35) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(36) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(37) श्री सुनील उईके (जिला-छिन्दवाड़ा)
(38) श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(39) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)

(40) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (जिला-अशोकनगर)
(41) श्री भैरो सिंह बापू (जिला-आगर-मालवा)
(42) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला-छतरपुर)
(43) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)
(44) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(45) श्री मोहन शर्मा (जिला-राजगढ़)
(46) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(47) कुँवर अभिजीत शाह (जिला-हरदा)
(48) श्री महेंद्र रामसिंह यादव (जिला-शिवपुरी)
(49) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-मुरैना)
(50) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(51) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(52) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(53) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(54) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)
(55) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे (जिला-खण्डवा)
(56) श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-खरगोन)
(57) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(58) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(59) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(60) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(61) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(62) श्री प्रदीप पटेल (जिला-मऊगंज)
(63) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
(64) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(65) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)
(66) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-बालाघाट)
(67) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)
(68) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(69) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(70) श्रीमती प्रियंका पैंची (जिला-गुना)
(71) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(72) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(73) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-मैहर)

9. वक्तव्य

कृषि के महत्व पर माननीय मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया तथा नेता प्रतिपक्ष ने उस पर प्रतिक्रया व्यक्त की इस पर संसदीय कार्यमंत्री द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि नेता प्रतिपक्ष को वक्तव्य की विषय वस्तु तक ही सीमित होना चाहिए . इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि संसदीय कार्यमंत्री को सुना उनहोंने जो विषय उठाया है वह अपने आप में सही है क्यों कि राईट टू रिप्लाई का अधिकार नेता प्रतिपक्ष को है और आप का अधिकार सुरक्षित है इसलिए वक्तव्य पर हमारी प्रतिक्रिया वहीं तक सीमित रहें तो ठक रहेंगा।

10. वर्ष 2025-2026 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा "दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 35, 37, 40, 47, 48, 50 एवं 54 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पंद्रह हजार नौ सौ अठावन करोड़, उनहत्तर लाख, तीस हजार, पिचासी रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.".

तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर प्रारंभ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री गौरव सिंह पारधी
(2) श्री उमंग सिंघार

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर दिया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ
अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

11. शासकीय वित्त विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
विधेयक पारित हुआ

12. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्रीमती कृष्णा गौर, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(1)	अनुदान संख्या – 001	सामान्य प्रशासन के लिए एक हजार, उनचास करोड़, निन्यानवे लाख, बयासी हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 002	विमानन के लिए छः सौ उनसठ करोड़, सतावन लाख, अड़तीस हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 003	गृह के लिए तेरह हजार चार सौ छः करोड़, निन्यानवे लाख,

		बयासी हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 004	पर्यावरण के लिए तीस करोड़, तिरानवे लाख, सड़सठ हजार रूपये,
	अनुदान संख्या – 005	जेल के लिए आठ सौ पचानवे करोड़, सात लाख, चालीस हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 010	वन के लिए छः हजार एक सौ अठारह करोड़, पिचासी लाख, बयालीस हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 011	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए तीन हजार आठ सौ तेरह करोड़, पचानवे लाख इक्तीस हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 021	लोक सेवा प्रबंधन के लिए तिहत्तर करोड़, दस लाख, छत्तीस हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 025	खनिज साधन के लिए एक हजार पांच सौ चौतीस करोड़, आठ लाख, अठासी हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 029	विधि और विधायी कार्य के लिए तीन हजार चार सौ चौरासी करोड़, पैंसठ लाख, अठारह हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 032	जनसंपर्क के लिए आठ सौ तिरामी करोड़, इकसठ लाख, आठ हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 041	प्रवासी भारतीय के लिए पन्द्रह करोड़, पांच लाख, एक हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 046	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए सात सौ चौतीस करोड़, चौदह लाख, आठ हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 048	नर्मदा घाटी विकास के लिए सात हजार तीन सौ निन्यानवे करोड़, पैंतालीस लाख, तीस हजार रुपये, एवं
	अनुदान संख्या – 052	आनंद के लिए ग्यारह करोड़, इक्यासी लाख, एक हजार रुपये

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

13. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''कार्य-मंत्रणा समिति में यह विचार और निर्णय हुआ था कि वन और पर्यावरण इन दो विभागों पर चर्चा होगी और उसके पश्चात् पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा होगी, तो अभी इस ग्रुप में वन और पर्यावरण विभाग की दृष्टि से हम सब लोग अपने विचार रखें.''

14. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह

{सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ.ध्यान सिंह सोलंकी) पीठासीन हुई}

(2) श्री भंवर सिंह शेखावत
(3) श्री भगवान दास सबनानी
(4) डॉ. विक्रांत भूरिया
(5) डॉ. आभिलाष पाडेण्य
(6) श्रीमती अनुभा मुंजारे

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

(7) श्री शैलन्द्र कुमार जैन
(8) श्रीमती झूमा डॉ.ध्यान सिंह सोलंकी
(9) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
(10) श्री रामेश्वर शर्मा
(11) श्री विश्वनाथ सिंह
(12) श्री मोहन शर्मा

श्रीमती कृष्णा गौर, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

15. अध्यक्षीय घोषणा

सदन की लॉबी में चाय की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''माननीय सदस्यों के लिये चाय की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्य सुविधानुसार चाय ग्रहण करने का कष्ट करें.''

16. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री दिलीप अहिरवार, वन एवं पर्यावरण, राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

17. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि कार्यसूची के पद 7 अनुदान मांगों पर मतदान के पद (2) में उल्लेखित मांगे पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

18. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(1)	अनुदान संख्या – 018	श्रम के लिए एक हजार तीन सौ पैंतीस करोड़, बहत्तर लाख, छियानवे हजार रुपये,
	अनुदान संख्या – 030	ग्रामीण विकास के लिए उनतीस हजार छः सौ बासठ करोड़, छियासी लाख, छब्बीस हजार रुपये, एवं
	अनुदान संख्या – 040	पंचायत के लिए दस हजार चार सौ उनतालीस करोड़, बहत्तर लाख, सतानवे हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

(1) श्री राजेन्द्र मेश्राम

{सभापति महोदय (श्री लखन घनघोरिया) पीठासीन हुए}

(2) श्री फूलसिंह बरैया
(3) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(4) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(5) श्री दिव्यराज सिंह

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

(6) श्री कैलाश कुशवाह
(7) इंजीनियर प्रदीप लारिया
(8) श्री साहब सिंह गुर्जर
(9) श्री महेन्द्र नागेश
(10) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव
(11) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 08:08 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026 (5 फाल्गुन, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक: 23 फरवरी, 2026